

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक ८/५९१५/

जबलपुर, दिनांक ०४/०९/२०२५

श्री संजय शर्मा, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक ०८.०७.२०२५ से २०.०७.२०२५ तक १३ दिन एवं दिनांक २५.०७.२०२५ से ०३.०८.२०२५ तक १० दिन का अवैतनिक किया जाता है।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक ८/५९१५/

जबलपुर, दिनांक ०४/०९/२०२५

प्रतिलिपि :-

१. रजिस्ट्रार (प्रशा.), उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
२. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
३. ए.ओ. (जे) स्थापना/वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
४. सहायक स्थापना/वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
५. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ, जबलपुर,
६. श्री संजय शर्मा, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)